कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं0–05944–240071

पत्रांक: न–3 / एफ0एस0 / ऑनलाइन / 158 / 18 दिनांक अक्टूबर 22, 2018

स्वामी / प्रबन्धक
मै0 सैण्ट मैरीज सेकेण्डरी स्कूल
बाजपुर, ऊधम सिंह नगर।

विषय :– प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र युआईडी नं0–97833776 दिनांक 10–10–2018 के अनुसार मै0 सैण्ट मैरीज सेकेण्डरी स्कूल बाजपुर, ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र काशीपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र काशीपुर की ऑनलाईन निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं, तथा उपकरणों की रिफलिंग कराकर घनराशि राजकोष में जमा करा दी गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै0 सैण्ट मैरीज सेकेण्डरी स्कूल बाजपुर, ऊधम सिंह नगर को प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2018 से 19 अक्टूबर 2019 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जायः–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।
6. अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किया गया अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

एन0 एस0 कुँवर
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर